Saarth E-Journal

Saarth E-Journal of Research

E-mail : sarthejournal@gmail.com
www.sarthejournal.com

ISSN NO : 2395-339X | Impact Factor
Peer Reviewed | Quarterly
Vol.8 No.7 | jan-feb-march2023

वेदों में नारी विमर्श

नलिना आहिर

सारांश:

भारतीय संस्कृति एवं दर्शन सदैव 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सिद्धान्त का अुनगामी है। भारत में सर्वदा नारी को अत्यन्त उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया तथा उसे लक्ष्मी, देवी, साम्राज्ञी, महिषी आदि सम्मानसूचक नामों से अभिहित किया जाता था। वेदकाल में नारी को एक रत्न की संज्ञा दी जाती थी। अथर्व वेद में नारी के सम्मान को वर्णित करने वाला एक श्लोक दृष्टव्य है-

अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनाः।
जाया परये मतुमतीं वाचं यददु शान्तिवाम् ॥

दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेद का तात्विक अर्थ है ज्ञान या जानना। मंत्र द्रष्टा ऋषियों में स्त्रियों के मंत्र भी आते है। वैदिक युग में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। वह स्वयंवर से अपने जीवन साथी का चुनाव करती थी। उस युग में बल विवाह की परंपरा नहीं थी। स्त्रियों की निर्णयों में भागीदारी होती थी। प्रस्तुत शोध पत्र में वेदकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति पर विचार किया गया है।

चाबिरुप शब्दः वेद, साहित्य, नारी, सामाजिक परिस्थिति, अधीकार।

प्रस्तावना:

किसी भी देश अथवा समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज अथवा देश में स्त्रियों की दशा कैसी है? इसी द्रष्टि से भारतीय समाज में स्त्रियों को प्रारंभ से ही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह सभी दृष्टियों से पुरुषों के समान थी पुरुषों की भांति उनका भी उपनयन संस्कार होता था और वे ब्रहमचरयाश्रम में प्रवेश कर उच्चत्तम आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करती थी। इस काल में हमें अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते है जिन्होने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं का प्रणयन किया था। इनमें लोपमुद्रा, विश्वधारा, अपाला, काक्षिवती द्योषा, सिकता, निवावरी, रोमाशा तथा उर्वशी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। शिक्षा ज्ञान और विदता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि याज्ञिक कार्यों में भी वे अग्रणी थी। उपनिषदों में भी अनेक विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते है। जो दर्शन, तत्वज्ञान और तर्क में निपुण थी। बृहदारण्य उपनिषद में विदेहराज जनक की राजसभा में गार्गी और याज्ञवलक्य के बीच शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है।

भारत में नारीवाद को पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, जबकि ज़रूरत उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने की है। यद्यपि पितृसत्ता हर युग और काल में मौजूद रही है पर भारत में यह अत्यधिक जटिल ताने-बाने के साथ उपस्थित है, जिसमें जाति, वर्ण, वर्ग और धर्म सभी सम्मिलित हैं। इसे 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' का नाम दिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि इसका निशाना कोई एक जाति है। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय, उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुन्दर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य किसी धर्मग्रंथ में नहीं है। वेद उन्हें घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश की शासक, पृथ्वी की सम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं। वेदों में स्त्री यज्ञीय है अर्थात् यज्ञ समान पूजनीय। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख-समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली, देवी, विदुषी, सरस्वती, इन्द्राणी, उषा-जो सबको जगाती है इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं।

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वष्टकारः स्वरात्मिका।
सुधा त्वं अक्षरे नित्ये तृधा मात्रात्मिका स्थिता ॥७३॥

इस श्लोक के द्वारा ब्रहमा जी देवी स्तुति आरंभ करते हैं। विद्वानों का मानना है कि वैदिक काल के आरंभ से पहले समाज मातृसत्तात्मक था जिसमें स्त्री श्रेष्ठ और उच्च भूमिका में थी। उस युग में स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा की सुंदर व्यवस्था थी। अध्ययन-अध्यापन, घर-परिवार तथा सभाओं में और संघर्षमय युद्धों आदि सभी जगह स्त्रियों का समान रुप से योगदान रहता था। नारी को सभी क्षेत्रों व दिशाओं में उन्नति एवं प्रगति करने की स्वतंत्रता थी, इसीलिए उस काल में नारी की प्रतिभा तथा ज्ञान अपूर्व और अद्भुत था। उस काल में नारी के अंदर विचारशक्ति व आत्मबल के साथ उसके व्यवहार में शालीनता, विनम्रता थी

तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी था। उस युग में स्त्रियाँ वैदिक और दर्शन आदि की शिक्षा के अतिरिक्त गणित, वैद्यक, संगीत, नृत्य और शिल्प आदि का भी अध्ययन करती थीं। क्षत्रिय स्त्रियाँ धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या की भी शिक्षा ग्रहण करती थीं तथा युद्ध में भाग भी लेती थीं।

वैदिक काल में नारी कि स्थिति:

ऋग्वेद में 'जायेदस्तम्' शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ है कि- स्त्री को ही घर कहा गया है। विवाह के पश्चात उसकी पतिगृह में गृहपत्नी, गृहस्वामिनी का अधिकार प्राप्त होता है। एक और उसे पति, सास-ससुर आदि कि सेवा करने तथा उनकी देख-रेख का उत्तरदायित्व दिया जाता था। जो दूसरी ओर उसे गृहस्वामिनी के रूप में सास, ससुर, ननद आदि कि साम्राज्ञी कहा गया है। वैदिक काल में स्त्रियाँ बिना परदे के स्वछंदतापूर्वक विचरण करती थी वे पुरुषों की भाँति सामाजिक और धार्मिक समारोहों एवं उत्सवो तथा सभा और विचार गोष्ठियों में बिना किसी प्रतिबंध के संमिलित होती थी और विचारों का आदान-प्रदान करती थी।

वैदिक युग में स्त्री शिक्षा:

वेदकालीन समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में वे किसी भी प्रकार पुरुषों से कम नहीं थी। ऋग्वेद में लगभग बीस ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख हैं जिन्होंने अनेकानेक सूक्तों की रचना की थी। इनमें लोपामुद्रा, विश्वधारा, आपाला, घोषा, काक्षिवती, रोमाशा, सिकता, इंद्राणी आदि स्त्रियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यजुर्वेद के अनुसार कन्या का विवाह ब्रह्मचर्यावस्था समाप्त कर लेने के पश्चात ही करना चाहिए। यजुर्वेद में स्त्री को 'स्तोम पृष्ठा' कहा गया है जिसका अभिप्राय यह है कि वह वेद मंत्रों के विषय में पूछताछ करती थी। प्राचीनकाल में यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व था और व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ कर सकता था, इसलिए स्त्रियों को विशेष रूप से वैदिक साहित्य कि शिक्षा प्रदान कि जाती थी, ताकि वह धार्मिक क्रियाओं में अपने पति के साथ भाग ले सकें।

वैदिक युग में स्त्री का संपति अधिकार:

प्राचीन भारत में स्त्री की सामाजिक स्थिति अत्यंत उन्नत थी। पति और पत्नी दोनों को परिवार की संपति का संयुक्त स्वामी समझा जाता था यहाँ तक कि विवाह के अवसर पर पति को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह अपनी पत्नी के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करेगा। तैतरीय संहिता में पत्नी को पारिणाह्य अर्थात घर की वस्तुओं की स्वामिनी स्वीकार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप में कहा गया है पत्नी के दाय की उत्तराधिकारिणी है।

वैदिक युग में विधवा विवाह:

वैदिक युग में विधवाओं को पुनः विवाह का अधिकार था। अथर्ववेद के अनुसार **"गृहाः सं सृज्यंते स्त्रीयाः यन्म्रियते पतिः।"** जब स्त्री का पति मर जाता है तब उसे दूसरा घर

बसाना पड़ता है। विधवा विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्भू कि संज्ञा दी गई है, पुनर्भू का अर्थ है जिसका दुबारा विवाह हो। ऋग्वेद में विधवा शब्द का उल्लेख अनेक बार हुआ है। किन्तु इससे उनकी दशा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक कल में उनकी स्थित दयनीय नहीं थी। पति कि मृत्यु के उपरांत उनकी सामाजिक स्थित में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था और वह सम्मानित जीवन व्यतीत करती थी।

मध्यकाल में नारी कि स्थिति:

मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह, पुनर्विवाह पर रोक, बहुविवाह, राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर, देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियों के माध्यम से नारी जाति का शोषण आरंभ हो गया। नारियों को पर्दे के पीछे कैद कर दिया गया। इसके बावजूद अनेक नारियों ने संघर्ष करते हुए राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित कर सम्मान पाया। रजिया सुल्तान, गोंड रानी दुर्गावती, रानी नूरजहां, शिवाजी की माता जीजाबाई जैसी महिलाओं ने नारी जाति को गौरव प्रदान किया। मीराबाई ने भक्ति रस की धारा बहाई और वे इतिहास की एक किंवदंती बन गईं।

निष्कर्ष:

वैदिक कालीन समाज के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उस समय के समाज में स्त्रियों को अनेक प्रकार के अधिकारों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी उन्हें शिक्षा, विवाह आदि सभी क्षेत्र में स्वतंत्रता थी। तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय नहीं थी। वैदिक काल का युग नारी समाज का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करता है।

संदर्भ:

1. मनुस्मृति/ ३.३५
2. बृहदारण्य उपनिषद
3. गृहिणी गृहमूच्यते। ऋग्वेद
4. वी. डी. शुक्ल: पूर्व मध्यकालीन संस्कृति और जीवन।
5. वासुदेवशरण अग्रवाल: भारतीय संस्कृति।
6. ऋग्वेद।
7. डॉ. एस कपूर: भारत में पुनर्जागरण।
8. कालीशंकर भटनागर: भारतीय संस्कृति का इतिहास।

नलिना आहिर